5

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी , 2004

क्रमांक -एफ-4/7/2003/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:-

संशोधन

(1) उक्त नियमों में, नियम, 38 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"38-क- पितृत्व अवकाश :-

(1) पुरूष सरकारी सेवक को, जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, उसकी पत्नी की प्रसवावस्था के दौरान अर्थात शिशु के जन्म की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से छह मास तक, पन्द्रह दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।

(2) पितृत्व अवकाश परिवर्तित अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा किंतु सरकारी सेवक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश के सिवाय, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोडा जा सकेगा।"

(2) यह संशोधन दिनांक 1.8.2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र एफ-4/7/2003/नियम/चार
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2004

प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष